लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –3833
उत्तर देने की तारीख: 16.07.2019

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु नौकरियां

3833. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि सामान्य अभ्यर्थियों के साथ–साथ आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को कोई नौकरी नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) से (ग): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, दिव्यांगजनों के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतें देखने के लिए मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तरदायी हैं। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय ने सूचित किया है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि योग्यता (मेरिट) सूची में उसके रैंक, उसके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए बताई गई प्राथमिकताओं, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी की उसकी पीडब्ल्यूबीडी उप–श्रेणी (सीएसई नियम के परिशिष्ट IV के अनुसार अर्थात् दृष्टि/श्रवण बाधित/गतिविषयक दिव्यांगता और प्रमस्तिष्क घात इत्यादि) में उसकी बारी आने पर रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार और प्रकार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) और संबंधित सेवाओं की वास्तविक अपेक्षाओं (पीआर) के संदर्भ में सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिभागी सेवाओं के संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों (सीसीए) द्वारा निर्धारित और विनिश्चित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के तहत अंतिम परिणाम में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी को सेवा आवंटन किया जाता है।

*****